उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 74/2016/1812 /92-2-2016-121जॉच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 24 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में निर्माण कार्यो के सम्पन्न कराने में उदासीनता/लापरवाही बरतने, "क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल" योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में अनुरक्षण आदि कार्य न किये जाने तथा शासकीय कार्यो में रूचि न लेने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मनोज कुमार गर्ग, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा जिनके पास अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद चित्रकूट का भी अतिरिक्त कार्यभार है, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। निलम्बन अवधि में श्री मनोज कुमार गर्ग, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर से सम्बद्ध रहेंगे।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

3- निलम्बन की अवधि में श्री मनोज कुमार गर्ग को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन-निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब श्री मनोज कुमार गर्ग इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 74 /2016/1812 (1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जिलाधिकारी, चित्रकूट के पत्र सं0-11469/एस0टी0डी0एम0/2016 दिनांक 18-09-2016 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर।

3- मुख्य अभियंता (पू0क्षे0/प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।